कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्राशि/SIQE/19522/2017/ 623 दिनांक : 05-2-18

उपनिदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा,
समस्त संभाग

अत्यावश्यक सूचना

विषय :– क्लस्टर कार्यशाला की सूचना भिजवाने के क्रम में।

प्रसंग :– समसंख्यक पत्रांक दिनांक 22.09.2017 एवं 13.10.2017.

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि एसआईक्यूई के अन्तर्गत सीसीई, सीसीपी और एबीएल की सफल क्रियान्विति हेतु राज्य में माह जुलाई, सितम्बर, और नवम्बर, 2017 में क्लस्टर कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी है। माह जनवरी, 2018 की कार्यशाला आयोजित की जा रही है परन्तु आदिनांक 22 जिलों से ही प्रथम एवं द्वितीय क्लस्टर कार्यशाला (जुलाई एवं सितम्बर, 2017) की क्लस्टरवार आमंत्रित एवं उपस्थित संभागियों की सूचना राज्य कार्यालय को प्राप्त हुई है। जबकि माह नवम्बर, 2017 में आयोज्य कार्यशाला की सूचना केवल 2 जिलों से प्राप्त हुई है। अतः माह जुलाई–2017, सितम्बर–2017, नवम्बर–2017 एवं जनवरी–2018 में आयोजित क्लस्टर कार्यशाला की क्लस्टरवार एवं कार्यशालावार सूचना निम्नांकित प्रारुप में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (एक्सल शीट में Arial 010 font size 12) अविलम्ब दिनांक 09.02.2018 तक भिजवाएं। सूचना में विलम्ब पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारण किया जावेगा।

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक	क्लस्टर विद्यालय का नाम	कार्यशाला आयोजन की तिथि	क्लस्टर के अधीन विद्यालयों की संख्या	आमंत्रित संभागी		उपस्थित संभागी		दक्ष प्रशिक्षकों की संख्या	कार्यशाला का विषय समूह
						माध्यमिक शिक्षा	प्रारम्भिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा	प्रारम्भिक शिक्षा		

उक्त सूचना मेल आईडी **siqerajasthan.state2@gmail.com** पर 09.02.2018 तक आवश्यक रूप से मेल करवाएं।

संलग्न : प्रासंगिक पत्र।

(नथमल डिडेल) I.A.S.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

(पी. सी. किशन) I.A.S.
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्राशि/SIQE/19522/2017/ 624 दिनांक : 05-2-18

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सहायक, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निजी सहायक, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सहायक, आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा को भेजकर लेख है कि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय को सूचना भिजवाने हेतु आदेशित करें।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त राजस्थान।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रथम/द्वितीय) प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त जिले को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना अविलम्ब उपनिदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) को भिजवायें।
8. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रमसा/एसएसए समस्त जिले को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना अविलम्ब जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) को भिजवायें।
9. रक्षित प्रति कार्यालय हाजा।
10. कम्प्यूटर अनुभाग प्रा/मा. शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

सहायक निदेशक (एसआईक्यूई)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः—शिविरा / प्रारं / एसआईक्यूई / 19513 / लैब वि. / 2017/621 दिनांकः— 05/02/18

प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
समस्त जिले ।

विषयः— लैब विद्यालयों के सफल संचालन एवं नियमित अवलोकन के क्रम में ।
प्रसंगः— माननीय शासन सचिव महोदय द्वारा पीएमयू में दिये निर्देशों की पालना के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में गुणवता शिक्षा के उन्नयन हेतु प्रति जिले में 6 विद्यालय (3 आदर्श एवं 3 उत्कृष्ट) चयनित किये गये है । इन विद्यालयों को शैक्षिक एवं भौतिक दृष्टि से center of exellance बनाया जाना है। राज्य की द्वितीय त्रैमासिक पीएमयू बैठक की अध्यक्षता में माननीय शिक्षा सचिव महोदय द्वारा लैब विद्यालयों की समुचित रूप से मोनेटरिंग हेतु निर्देशित किया गया है। राज्य में 224 लैब विद्यालय संचालित है। समस्त डाईट द्वारा चयनित लैब विद्यालयों को विकसित करने हेतु प्रत्येक जिले की डाईट द्वारा अपने ही संस्थान से व्याख्याताओं को लैब विद्यालय प्रभारी आवंटित किये गये है। लैब विद्यालय के प्रति डाईट के दायित्वों में लैब विद्यालय प्रभारी द्वारा लैब विद्यालयों में अकादमिक सम्बलन हेत प्रतिमाह दो बार निरीक्षण करने के दिशा निर्देश पूर्व में दिये गये थे। एसआईक्यूई के संदर्भ में लैब विद्यालय के सफल संचालन एवं नियमित अवलोकन करने हेतु समस्त डाईट को इस पत्र के साथ दिशा निर्देश की प्रति एवं लैब विद्यालय प्रभारी द्वारा विद्यालय विजिट के दौरान भरा जाने वाला निरीक्षण प्रपत्र भिजवाया जा रहा है। लैब विद्यालय की विजिट रिपोर्ट प्रतिमाह की 5 तारीख को siqerajasthan.state2@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करे। उक्त रिपोर्ट के पश्चात जिलेवार लैब विद्यालयों की रेंकिंग निर्धारित की जायेगी।

संलग्नः—1. दिशा निर्देश की प्रति
2. निरीक्षण प्रपत्र

(नथमल डिडेल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

(पी. सी. किशन)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा / प्राशि / SIQE /19513/2017/ 622 दिनांक : 5/2/18

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. उपनिदेशक (प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा), समस्त संभाग
6. निदेशक एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर ।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक / प्रारम्भिक
8. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रमसा / एसएसए समस्त
9. कम्प्युटर अनुभाग माध्यमिक एवं प्रारम्भिक को भेज कर लेख है कि विभागीय वैब साईट पर अपलोड करे।
10. रक्षित पत्रावली ।

www.rajteachers.com

सहायक निदेशक (SIQE)
निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

लेब विद्यालय सूचना प्रपत्र

विद्यालय का नाम ..... विद्यालय का प्रकार (उत्कृष्ट/आदर्श).....

डाईस कोड ..... ग्राम ..... ग्राम पंचायत .....

ब्लॉक ..... जिला ..... अवलोकन की दिनांक .....

प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य का नाम ..... मोबाईल नम्बर .....

डाईट प्रभारी का नाम ..... मोबाईल नम्बर .....

गत अवलोकनकर्ता का नाम ..... मोबाइल नं. .....

विद्यालय में कुल अध्यापक/अध्यापिकाएँ	कक्षा 1 से 5 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों की कुल संख्या	कक्षा 1 से 5 में अध्यापन कराने वाले उपस्थित शिक्षकों की कुल संख्या

कक्षा	i	ii	iii	iv	v	कुल	कक्षा 1 से .....(जहाँ तक हो)
नामांकन							
उपस्थिति							

कक्षा 1 से 5 में अध्ययन कराने वाले शिक्षको का विवरण

शिक्षक/शिक्षिका का नाम					
अध्यापन कक्षा					
अध्यापन हेतु विषय					

1 से 5 तक की कक्षाओं की बैठक व्यवस्था का विवरण (संबंधित के सामने टिक करें एवं विवरण लिखें)

सभी कक्षायें अलग–अलग कक्षा कक्ष में बैठती हैं।

एक ही कक्षा–कक्ष में एक से अधिक कक्षायें बैठती है।

कितने बच्चें हिंदी विषय में अपनी कक्षा की पाठ्यपुस्तक को पढ कर समझ बना लेते है? तर्क के आधार पर अपनी बात कह सकते हैं और पढे हुए को अपने शब्दों में लिख सकते है।				
कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3	कक्षा 4	कक्षा 5
कितने बच्चे अंग्रेजी विषय में अपनी कक्षा की पाठ्यपुस्तक को पढ कर समझ बना लेते है? तर्क के आधार पर अपनी बात कह सकते हैं और पढे हुए को अपने शब्दों में लिख सकते है।				
कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3	कक्षा 4	कक्षा 5
कितने बच्चें गणित विषय में अपनी कक्षा के पाठ्यक्रम के आधार पर संख्या ज्ञान की पहचान और				

www.rajteachers.com

संक्रियाओं से सबंधित प्रश्नों को हल कर लेते है। साथ की व्यवहारिक रूप में इन दक्षताओं से सम्बंधित प्रश्नों को बिना किसी की मदद से कर लेते है।				
कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3	कक्षा 4	कक्षा 5

क्र.स.	स्थिति	संख्या
1	विद्यालय में कुल कक्षा कक्षों की संख्या (जहाँ कक्षा संचालित होती है।)	
2	1–5 की कक्षाएं कितने कक्षा कक्षों मे बैठती है। (जहाँ कक्षा संचालित होती है।)	
3	विद्यालय में कितने बच्चो की पोर्टफोलियो फाइलें बनी हुई है?	
4	कितने बच्चों की पोर्टफोलियो फाईलों पर विद्यार्थी प्रोफाईल पत्रक लगा हुआ है?	
5	कितने बच्चों की पोर्टफोलियो फाईलों पर अभिभावकों के हस्ताक्षर हो रखे है।	
6	कितने बच्चों की पोर्टफोलियो फाईलों पर बच्चों के फोटो लगे है।	
7	अब तक एक पोर्टफोलियो में कुल कितने दस्तावेज (बेसलाईन/ पदस्थापन/ योगात्मक आकलन/कार्यपत्रक/ड्राइंग शीट आदि) संधारित किये गए है? किन्हीं पॉच बच्चों की पोर्टफोलियों की जॉच करें।	
8	विद्यालय में कितने बच्चों का योगात्मक आकलन चेकलिस्ट में दर्ज हो गया।	
9	कुल कितने बच्चों का योगात्मक आकलन चेकलिस्ट में दर्ज नहीं किया गया।	
10	अब तक कुल कितने बच्चों की रचनात्मक आकलन (चेकलिस्ट) संधारित की गई है। (कक्षा 1 से 5)	
11	चेकलिस्ट का प्रथम पृष्ठ (टर्मवार कक्षा स्तर की स्थिति) संधारित किया है।	
12	अब तक कितने बच्चों की शैक्षिक प्रगति को आकलन अभिलेख पंजिका में दर्ज किया गया है ?	
13	विद्यालय में कितने बच्चे पीयर शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे है?	
14	समयावधिनुसार पाठ, योजना का निर्माण किया गया है।	
15	पाठ योजनानुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है।	
16	पाठ योजना कक्षाओं की बैठक व्यवस्था के अनुसार बनाई गई है।	

गत अवलोकनकर्ता द्वारा दिये गये सुझावों के पालना की स्थिति .....

.....

अवलोकनकर्ता द्वारा टिप्पणी : .....

.....

.....

हस्ताक्षर और सील
प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक

हस्ताक्षर
डाईट प्रभारी

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

फोन नम्बर : Email ID :

क्रमांक : शिविरा/प्रारि/SIQE/दिशा–निर्देश/2017-18/ दिनांक ...../...../.....

एस.आई.क्यू.ई. के अन्तर्गत लेब विद्यालय संचालन हेतु दिशा–निर्देश

- **प्रस्तावना :–** राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में विगत वर्षों से कक्षा 1 से 5 तक एस.आई.क्यू.ई. कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के प्रभावी निश्चित रूप से विद्यालयों में सीखने–सिखाने की प्रक्रियाओं में प्रगति दिखाई देती है। यह प्रगति सभी विद्यालयों में एक सी नहीं दिखाई देती। शिक्षकों के सतत प्रशिक्षणों से शिक्षण विधा में और सुधार का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षकों के अध्ययन के लिए संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। बच्चो के साथ किए जाने वाले कार्य को व्यवस्थित करने के लिए शिक्षकों को शिक्षण अधिगत योजना बनाने के लिए प्रारूप उपलब्ध कराए गए हैं। शिक्षण प्रक्रिया को बाल केंद्रित बनाने में सहयोग हेतु बच्चो की शैक्षिक प्रगति को संधारित करने के लिए शिक्षकों को दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। विद्यालयों एवं शिक्षकों को सतत संबलन देने के लिए विद्यालयों का संबलन किया जा रहा है तथा क्लस्टर पर विषयाधारित कार्यशालाएं की जा रही है। शिक्षा में सकारात्मक बदलाव एक लम्बी प्रक्रिया है। नये तरीकों को सीखना और अभ्यास कर कार्य का स्वाभाविक हिस्सा बनाने में लम्बा समय लगता है। कक्षा कक्ष में सीखने सिखाने की संस्कृति बदलने के लिए आवश्यक है कार्य की संस्कृति को बदला जाए।

- **लेब विद्यालय की अवधारणा:–** एसआईक्यूई के सफल क्रियान्वयन हेतु ऐसे विद्यालयों को विकसित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जहाँ जिले की डाईट के द्वारा शैक्षिक नवाचार कर सके। इन नवाचारों से प्राप्त सकारात्मक प्रायोगिक अनुभवों को दूसरे विद्यालय के लिए अभिप्रेरणा के रूप में उपयोग किया जाए। इन विद्यालयों को हम **लेब विद्यालय** के नाम से जाना जाएगा। प्रत्येक जिले में बेहतर नामांकन से युक्त हो एवं पर्याप्त भौतिक संसाधनयुक्त हो तथा उस विद्यालय की दूरी डाईट मुख्यालय से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर ही हो। इस प्रकार चयनित विद्यालयों को लेब विद्यालय के रूप में विकसित किया जाना है। राज्य अकादमिक समूह के द्वारा प्रत्येक डाईट को स्वयं के जिले के 6 विद्यालयों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। डाईट तय मापदडो के आधार पर अपने जिले के 3 उत्कृष्ट एवं 3 आदर्श विद्यालयों को लेब विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए चयन करे। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के निर्देशन में राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर और राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर के अकादमिक मार्गदर्शन के माध्यम से किया जाना है।

लक्ष्य :– सभी बच्चों के शैक्षिक स्तर को कक्षा अनुरूप लाना व बच्चों के शैक्षिक स्तरों के बीच अंतर को कम करना।

- उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एस.आई.क्यू.ई. कार्यक्रम में निम्न 9 उद्देश्यों पर विद्यालयों में कार्य करने की आवश्यकता महसूस की गई–
  1. बाल केन्द्रित शिक्षण के द्वारा बालक को सीखने के पर्याप्त अवसर प्रदान देना।
  2. बच्चों में परीक्षा के भय को दूर करना।
  3. गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा शिक्षण–अधिगम प्रकिया को रूचिकर, आनन्ददायी एवं प्रभावी बनाना।
  4. ज्ञान को स्थायी एवं प्रभावी बनाते हुए प्राथमिक शिक्षा की नींव को मजबूत करना।
  5. बच्चों में सृंजनात्मकता एवं मौलिक चिन्तन का विकास करना।
  6. बच्चों के स्तर के अनुरूप शिक्षण योजना अनुसार शिक्षण करते हुए शैक्षणिक प्रगति को दर्ज करना।

www.rajteachers.com

7. बच्चों को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए उनके संज्ञानात्मक एवं व्यक्तित्व विकास के अवसर प्रदान करना।
8. बच्चों के गुणात्मक विकास के साथ–साथ नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करना।
9. बच्चों की प्रगति को अभिभावकों के साथ नियमितरूप से साझा करना।

- **प्रस्तावित गतिविधियाँ:–** चयनित विद्यालय को अपने सपने के लैब विद्यालय के रूप में विकसित कर सकें और उनमें एसआईक्यूई के उद्देश्यों के अनुसार गुणवत्ता सुधार कर सकें। इस हेतु अग्रलिखित प्रस्तावित प्रवृत्तियाँ/गतिविधियाँ को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना है। लेब विद्यालयों में संचालित की जाने वालीं बुनियादी गतिविधियाँ (Basic Activities in Lab Schools) इस प्रकार है–
  1. भित्ती पत्रिका निर्माण (Wall Painting)
  2. भाषा विकास अभ्यास (Language Practice)
  3. दिन की कविता (Poetry of the Day)
  4. दिन का स्केच (Sketch of the Day)
  5. पठन आदतों का विकास (Development Reading Habits (Open Library))
  6. शतरंज के खेल को प्रोत्साहन (Promotion of Chess)
  7. हावभाव के साथ कविता वाचन (Rhyme with action)
  8. थ्रीम पर नाटक करना (Drama)
  9. किताबों की दुकान (Concept of Book Shop)
  10. संगीत की अवधारणा (Music concept)
  11. विद्यालय अभिलेख संधारण में सुधार (Improvement in School Records Keeping)
  12. बच्चों में वैज्ञानिक दृटिकोण पैदा करना एवं जिज्ञासु प्रवृति को बढावा देना (Provide opportunity to children about to develop scientific attitude and promot curiocity.)

उक्त गतिविधियाँ विद्यालयों में सत्र 2017–18 के प्रथम त्रैमासिक में ही प्रभावी ढंग से क्रियान्वित होती हुई नजर आनी चाहिए तथा दूसरे त्रैमासिक में विद्यालय के बच्चों में इसका प्रभाव नजर आना अपेक्षित है। इनमें से कुछ गतिविधियाँ और उनके चरण निम्न प्रकार है–

- **भित्ती पत्रिका (Wall Painting):-** विद्यालय समय में बच्चों द्वारा कई तरह के रचनात्मक कार्य किए जाते है। ये रचनात्मक कार्य प्रत्येक बच्चे की क्षमता और कौशल के द्वारा विभिन्न तरह के किए जाते है। ये रचनात्मक कार्य कई तरह के होते हैं, जैसे मनपसन्द का चित्र, मनपसन्द की कोई कविता, कहानी, विचार, चुटुकले, मौलिक रचना, पुस्तकालय की पुस्तक पढ़ने के बाद उससे स्वयं की समझ या विचारों का लेख हो सकता है। शुरूआत में विद्यालय में कुछ ही बालक इस तरह की गतिविधियों में भाग लेंगे, मगर शिक्षक प्रोत्साहन के द्वारा अन्य बालक–बालिकाओं को भी अभिप्रेरित करें।
- **प्रार्थना सभा संचालनः–** प्रार्थना सभा में विद्यालय की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है, जो दिन की शुरूआत में होती है। विद्यालय में प्रतिदिन होने वाली यह एकमात्र गतिविधि है, जिसमें बच्चे और स्टाफ पूरे दिन में एक बार सामूहिकरूप से इकठ्ठा हो सकते हैं। चूँकि प्रार्थना सभा में बच्चे तो शामिल होते ही हैं, मगर विद्यालय का समस्त स्टाफ भी इसमें शामिल होना अपेक्षित है। प्रार्थना सभा के संचालन में बच्चों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी ली जानी अपेक्षित है। इसके लिए बच्चों के समूह (हाउस) बनाकर उन्हें अलग–अलग जिम्मेदारी दी सकती है। सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए अलग–अलग हाउस को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। प्रार्थना सभा संगीतमय हो इसके लिए स्थानीय वाद्ययन्त्रों (ढोलक, मंजीरा, ढपली सम्भव हो तो हार्मोनियम) का उपयोग किया जा सकता है। प्रार्थना सभा में नियमितरूप से दैनिक समाचार पत्र का छात्र–छात्राओं को बदलते हुए क्रम से वाचन का अवसर दिया जावे। प्रेरणास्पद कहानी, दोहों का सामूहिक वाचन करवाया जावे। प्रार्थना सभा में कुछ चयनित बाल–मित्र गतिविधियाँ

www.rajteachers.com

जैसे आज का दीपक, आज का गुलाब, मन की बात, खोया–पाया आदि का संचालन किया जा सकता है।

- विद्यालय परिसर के बरामदे में आदमकद दर्पण (शीशा) सवा बाई 4 फीट का लगवाया जाना है। इसकी खरीद स्वच्छता राशि के मद से की जावे। इस दर्पण को ऐसी जगह लगवाएँ, जहाँ बच्चे बिना झिझक के उसका इस्तेमाल कर सकें। दर्पण पर **"Am I looking smart ?"** लिखवाया जावे। सम्भव हो तो कंघा और बालों में लगाने का तेल भी रखवाया जा सकता है।
- **बालसभा का आयोजन** :– माह के अन्तिम शनिवार को मनाई जाने वाली बालसभा का आयोजन समुदाय में स्थित किसी सार्वजनिक स्थल पर किया जावे। बालसभा जहाँ बच्चों को प्रस्तुति करने का अवसर दिया जावे। यह बालसभा ऐसे स्थान पर आयोजित हो जहाँ समुदाय के लोग आकर बैठ सकें और बच्चों की अकादमिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का अवलोकन कर सके।
- **House of the School :-** विद्यालय में कक्षावार बच्चों के हाउस बनाए जावें, इन हाउस का नाम प्रत्येक कक्षा में एक समान हो। जैसे ये नाम महापुरूषों, वैज्ञानिकों, कलाकार, नदियों, ग्रहों एवं रंगों (ग्रीन, यलो, रेड, ब्लु,) आदि के नाम से हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कक्षा 5 में नामांकित सभी बालकों को वैज्ञानिक न्यूटन, अल्बर्ट आइन्सटाईन, सी.वी.रमन, भाभा और आर्यभट्ट का नाम देकर पाँच समूह में बांटा गया है। इन्हीं वैज्ञानिकों के नाम पर विद्यालय की सभी कक्षाओं के बालक–बालिकाओं के पाँच समूह बनाए जा सकते हैं। प्रार्थना सभा संचालन की जिम्मेदारी साप्ताहिक रूप से अलग–अलग समूहो को दी जा सकती है।
- **Crowd Fund :-** विद्यालय विकास के लिए अभिभावको एवं छात्र–छात्राओं आर्थिक अंशदान/योगदान के लिए प्रेरित किया जा सकता है। यह अंशदान 1 रूपए से लेकर उनकी स्वेच्छा से दी जाने वाली राशि का हो सकता है। विद्यालय स्टाफ को 80 जी के तहत विद्यालय का पंजीकरण करवाने हेतु प्रेरित किया जावे। यदि विद्यालय का पहले से 80 जी के तहत पंजीकरण किया हुआ है तो अभिभावकों एवं भामाशाहों को विद्यालय विकास हेतु दिए गए आर्थिक सहयोग पर मिलने वाली आयकर में छूट की जानकारी दी जावे।
- **Promotion of CHESS :-** विद्यालय में स्टाफ एवं विद्यार्थियों को शतरंज का खेल खलने के लिए प्रोत्साहित किया जावे।
- मेरा बचपन मेरा स्कूल **(Alumni Meet)** :– विद्यालय से पढ़कर निकले (पूर्व छात्रों) सफल व्यक्तियों के बारे में संस्था प्रधान स्थानीय पंचायत एवं गाँव के लोगों के सहयोग से लेकर उनके लिए एल्यूमिन मीट (पूर्व छात्र स्नेह मिलन कार्यक्रम) का आयोजन किया जा सकता है।

कुछ निम्न बाल–मित्र गतिविधियों के बारे में चर्चा की जा सकती है–

- **आज की गुलाब**:– विद्यालय में साफ–सुथरी विद्यालय पौशाक में नहा–धोकर कंघी करके आने वाले बच्चे को आज का गुलाब सम्बोधित किया जावे एवं उसका नाम विद्यालय परिसर के बरामदे में लिखा जाना चाहिए, जिससे आगन्तुक उसे देख सके। बच्चे को **आज का गुलाब** लिखा टेग गले में पूरे दिन के लिए पहनने के लिए दिया जा सकता है।
- **आज का दीपक**:– विद्यालय में अध्ययनरत बालक–बालिका का जन्म दिन उसे प्रार्थना सभा में **आज का दीपक** के नाम से सम्बाधित किया जावे। प्रार्थना सभा में इस बालक को **आज का दीपक** लिखा टेग पहनाया जाए तथा सभी बच्चों और विद्यालय स्टाफ के द्वारा ताली बजाकर समवेत स्वर में **"Happy Birthday to you"** बोलते हुए उसे बधाई दी जावे। यह टेग उसे पूरे दिनभर पहनकर रखना है और शाम को जाते हुए वापस लौटाना है।
- **मन की बात** :– इस डब्बे में जिस पर मन की बात लिखा हुआ है, इसमें बच्चों को विद्यालय में हुए किसी भी अच्छे या बुरे अनुभव को लिखकर डालने के लिए प्रेरित किया जावे। पर्ची में बच्चों के नाम नही लिखने का निर्देश देवें। मन की बात के डिब्बें आए बच्चें के विचारों को उस दिन प्रार्थना सभा का

www.rajteachers.com

संचालन करने वाले दल के द्वारा प्रार्थना सभा के दौरान सभी बच्चों और स्टाफ के सामने पढ़कर सुनाया जावे।

लेब विद्यालय विकसित करने हेतु निर्धारित स्व–आकलन सूचक प्रपत्र

क्र.सं.	स्व–आकलन के सूचक	सूचकों की स्थिति			प्राप्त अंक
		पूर्ण	आंशिक	नहीं	
1.	**अभिलेख संधारण की स्थिति**				
1.1	**विद्यार्थी पोर्टफोलियो (22)**				
1.1.1	कक्षा 1 से 5 के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए विद्यार्थीवार पोर्टफोलियो का संधारण किया गया है।	2	1	0	
1.1.2	विद्यार्थी की प्रोफाईल बनाकर पोर्टफोलियो के कवर पृष्ठ पर चस्पा की गई है।	2	1	0	
1.1.3	प्रोफाईल पर विद्यार्थी का फोटो लगाया गया है।	2	1	0	
1.1.4	प्रोफाईल पृष्ठ पर अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर किए गए है।	2	1	0	
1.1.5	कक्षा 2 से 5 तक अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी का आधार रेखा मूल्यांकन/पदस्थापन कर दर्ज कर लिया गया है। **इस बिन्दु का आकलन पोर्टफोलियो, चैकलिस्ट एवं योजना डायरी में दर्ज सूचनाओं का मिलान कर उनमें आपसी सम्बद्धता देखते हुए किया जाना है।**	2	1	0	
1.1.6	बच्चों के सृजनात्मकता एवं आकलन/मूल्यांकन के साक्ष्यों का संधारण विद्यार्थी पोर्टफोलियो फाईल में किया जा रहा है।	2	1	0	
1.1.7	विद्यार्थी की सृजनात्मकता के साक्ष्य तैयार कर भित्ती पत्रिका/दिन की कविता/दिन की पैण्टिंग पर लगाए गए है।	2	1	0	
1.1.8	पोर्टफोलियो के प्रत्येक दस्तावेज पर माता–पिता /अभिभावक के हस्ताक्षर है।	2	1	0	
1.1.9	प्रत्येक पाक्षिक योजना के अन्तर्गत कम से कम दो कार्यपत्रक विद्यार्थी पोर्टफोलियों में संधारित किया जा रहा है।	2	1	0	
1.1.10	पोर्टफोलियो में संधारित प्रत्येक कार्यपत्रक में त्रुटियों को चिह्नित कर संशोधित कर जाँचकर गुणात्मक टिप्पणी लिखी गई है।	4	2	0	
1.2	**अध्यापक योजना डायरी की स्थिति (10)**				
1.2.1	शिक्षण के लिए पाक्षिक योजना बनाई गई है।	2	1	0	
1.2.2	संस्था प्रधान के द्वारा शिक्षक की पाक्षिक योजना का अवलोकन कर उसका अनुमोदन (स्वयं हस्ताक्षर कर) किया जाता है।	2	1	0	
1.2.3	निम्न कक्षा स्तर वाले बालको के शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए उचित शिक्षण योजना बनाई जा रही है।	2	1	0	
1.2.4	शिक्षक के द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार ही कक्षा में शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है।	2	1	0	
1.2.5	कक्षा स्तर के बच्चों को पीयर शिक्षक के रूप में तैयार कर, क्षमता संवर्धन का कार्य किया जा रहा है।	2	1	0	
1.3	**कक्षा अधिगम सूचक अंकन पुस्तिका (चैकलिस्ट) (6)**				
1.3.1	कक्षा–कक्षीय प्रक्रिया के दौरान अधिगम क्षेत्रों के सापेक्ष सभी विद्यार्थियों का रचनात्मक आकलन नियमित रूप से किया जा रहा है।	2	1	0	
1.3.2	कक्षा स्तर से न्यून दक्षता वाले विद्यार्थियों का आकलन बुनियादी दक्षता की चैकलिस्ट में अद्यतन संधारित किया जा रहा है।	2	1	0	
1.3.3	प्रत्येक टर्म के अन्त में योगात्मक मूल्यांकन के विभिन्न उपकरणों की मदद से अधिगम क्षेत्र के सापेक्ष विद्यार्थी का योगात्मक	4	2	0	

www.rajteachers.com

	आकलन दर्ज किया जा रहा है।				
2	**गतिविधि आधारित शिक्षण–अधिगम (कक्षा–कक्ष प्रक्रियाएँ) (28)**				
2.1	कक्षा में बालकों को स्वयं करके सीखने, सोचने और समझने का अवसर दिया जा रहा है।	2	1	0	
2.2	कक्षाओं में बच्चों के स्तर के अनुरूप शिक्षण (व्यक्तिगत, समूह और पूर्ण कक्षा) हो रहा है।	2	1	0	
2.3	व्यक्तिगत गतिविधियों में कार्यपत्रकों का उपयोग लेते हुए उन्हें यथोचित तरीके से जाँच किया जा रहा है।	2	1	0	
2.4	बच्चों के आकलन/मूल्यांकन के लिए शिक्षक के द्वारा साक्ष्यों का संकलन करते हुए विद्यार्थी पोर्टफोलियो फाईल का संधारण किया जा रहा है।	2	1	0	
2.5	कक्षा में बच्चों को सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया जाता है।	2	1	0	
2.6	शिक्षण के दौरान सहपाठी (पीयर) से अधिगम का अवसर दिया जा रहा है। इसके लिए तेज गति से सीखने वाले और मन्द गति से सीखने वाले बालको के समूह बनाए गए हैं।	2	1	0	
2.7	सामूहिक गतिविधियाँ की जा रही है और इस दौरान प्राप्त सीखने के प्रमाण/साक्ष्यों का कक्षा की कॉमन पोर्टफोलियो फाईल में संधारण किया जा रहा है। जिसमें प्रत्येक दस्तावेज पर समूह के नाम दर्ज हैं।	2	1	0	
2.8	सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से भाषायी कौशलों का विकास किया जा रहा है।	2	1	0	
2.9	कक्षा–3 एवं उससे आगे की कक्षाओं के प्रत्येक बच्चे को अपनी कक्षा स्तर की हिन्दी की पाठ्यपुस्तक में दी गई विषयवस्तु को समझ और आत्मविश्वास के साथ पढ़ना आता है।	2	1	0	
2.10	कक्षा–3 एवं उससे आगे की कक्षाओं के प्रत्येक बच्चे को कक्षा स्तर के अनुरूप दी गई विषय वस्तु समझ के साथ लिखनी आती है।	2	1	0	
2.11	कक्षा–3 एवं उससे आगे आगे की कक्षाओं के प्रत्येक बच्चे को गणित में चारों मूलभूत संक्रियाएँ आती है।	2	1	0	
2.12	भाषायी कौशलों के विकास के लिए दीवार पर टेन्स चार्ट लिखा गया है। चयनित 50 क्रिया शब्द भी लिखे गए है।	2	1*	0	
2.13	कक्षा–3 एवं उससे आगे की कक्षाओं के प्रत्येक बच्चे को अपनी कक्षा स्तर की अंग्रेजी की विषयवस्तु पढ़ना आता है।	2	1	0	
2.14	विद्यालय में कम से कम 20 बच्चे विज्ञान के 20 खिलौने बनाना जानते हैं। (जैसे अरविन्द गुप्ता के खिलौने)	2	1	0	
3	**सृजनात्मकता और मौलिक चिन्तन (28)**				
3.1	प्रत्येक पखवाड़े में भित्ती–पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक बालक की सहभागिता ली जा रही है।	4	2	0	
3.2	पोईट्री ऑफ द डे प्रकाशित की जा रही है।	2	1	0	
3.3	पेण्टिंग ऑफ द डे प्रकाशित की जा रही है।	2	1	0	
3.4	पुस्तकालय में बच्चों के स्तरानुसार एन.बी.टी., सी.बी.टी. और प्रथम बुक्स की 100 से अधिक पुस्तकें रखी हुई है।	2	1	0	
3.5	पुस्तकालय कालांश में सभी बच्चों को पुस्तकें पढ़ने के लिए दी जाती है।	4	2	0	
3.6	शिक्षकों द्वारा शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग लिया जाता हैं।	4	2	0	

www.rajteachers.com

3.7	बच्चे शतरंज या ऐसे ही किसी दिमागी खेल को खेलना जानते हैं, जिससे चिन्तन कौशल विकसित होता है।	2	1	0	
3.8	प्रार्थना सभा के संचालन के दौरान हारमोनियम, ढोलक और तबले आदि वाद्ययन्त्रों का उपयोग लिया जा रहा है।	4	2	0	
3.9	प्रार्थना सभा में प्रतिदिन राष्ट्रगान हार्मोनियम, ढोलक और तबले के साथ करवाया जाता है।	2	1	0	
3.10	पोईट्री ऑफ द डे, पेण्टिंग ऑफ द डे और भित्ती–पत्रिका प्रदर्शित कार्य बाद में विद्यार्थी पोर्टफोलियो में संधारित किया जाता है।	2	1	0	
4	**विद्यालय संचालन में प्रधानाध्यापक और शिक्षक (4)**				
4.1	अकादमिक समस्याओं को लेकर प्रधानाध्यापक द्वारा नियमित रूप से शिक्षकों के साथ मासिक बैठक की जाती है।	2	1	0	
4.2	बैठक में बच्चों से जुड़े शैक्षिक मुद्दों पर चर्चा कर सर्वसम्मत निर्णय लेकर आगामी कार्ययोजना बनाई जाती है।	2	1	0	
	कुल पूर्णांक 100 में से विद्यालय को प्राप्त अंक				

नोट :

1. उक्त सूचकों के आधार पर संस्था प्रधान को स्वयं के विद्यालय का आकलन किया जावे एवं प्रत्येक सूचक की उपलब्धि स्तर/स्थिति के आधार पर पूर्ण, आंशिक एवं अपूर्ण की स्थिति वाले सम्बन्धित खाने में दिए गए अंक पर सही (✓) का निशान लगावें।
2. बिन्दु संख्या 2.6 से 2.13 तक आकलन कक्षा–कक्ष प्रक्रिया का अवलोकन करते हुए करना।
3. प्राप्त स्कोरिंग को अन्त में दिए गए कॉलम में प्राप्त अंक वाले कॉलम में दर्ज करें।

प्रत्येक स्कूल में दिए गए प्रगति सूचकों के अनुसार कुछ न कुछ हो रहा है, अतः गतिविधि की पूर्णता के स्तर के आधार पर आकलन करते हुए सम्बन्धित स्कूल अपने यहाँ उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए स्वयं की कार्ययोजना बनावें।

- **सीसीई/एसआईक्यूई कार्यक्रम सत्र 2017–18**

आधार रेखा/पदस्थापन	प्रथम योगात्मक आकलन	द्वितीय योगात्मक आकलन	तृतीय योगात्मक आकलन	चतुर्थ योगात्मक आकलन
1 से 7 जुलाई, 2017	9 से 14 सितंबर, 2017	25 से 30 नवंबर, 2017	6 से 10 फरवरी, 2018	20 से 25 अप्रैल, 2018

- **लेब विद्यालय विकसित करने के लिए विभिन्न स्टेकहोल्डर्स और उनके दायित्वः–**

डाईट के दायित्वः–

1. डाईट में एक फेकल्टी को एक विद्यालय की जिम्मेदारी दी जावे, उस विद्यालय में अकादमिक सम्बलन हेतु प्रतिमाह दो बार पर्यवेक्षण विजिट करे।
2. डाईट में अध्ययनरत शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा तैयार लेब विद्यालय की आवश्यकतानुसार टीएलएम, कार्यपत्रक तैयार करवाया जावे।
3. तैयार सामग्री को लेब विद्यालयों में उपलब्ध करवाकर उपयोग सुनिश्चित करना।
4. सीएमडीई प्रभाग द्वारा कार्यशालाओं में टीएलएम, कार्यपत्रक, गतिविधियाँ तैयार कर लेब विद्यालयों को उपयोग हेतु उपलब्ध करवाए।
5. जिले में प्रतिमाह होने वाली जिला अकादमिक समूह की बैठक में लेब विद्यालय की प्रगति एवं आगामी कार्ययोजना पर चर्चा करे तथा इन विद्यालयों में होने वाले बेहतर प्रयासों को सभी सदस्यों के साथ साझा किया जावे।

www.rajteachers.com

6. चूँकि एक जिले में केवल छह लेब विद्यालय हैं, अतः इन विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 में अध्यापन कार्य करवाने वाले शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्यशालाओं का आयोजन करे तथा सम्बलन विजिट के दौरान उसका फॉलोअप सुनिश्चत करे।
7. इन लेब विद्यालयों की प्रगति को प्रतिमाह राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर एवं निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के साथ साझा करे।

जिला शिक्षा अधिकारी/जिला स्तरीय अधिकारी :–

1. लेब विद्यालयों में आवश्यक मानवीय संसाधन उपलब्ध करवाए।
2. जिले में प्रतिमाह होने वाली जिला समन्वयन समूह (डीसीसी) की बैठक में लेब विद्यालय की प्रगति एवं आगामी कार्ययोजना पर चर्चा करे तथा इन विद्यालयों में होने वाले बेहतर प्रयासों को सभी सदस्यों के साथ साझा किया जावे।
3. जिला निष्पादन समिति की बैठक में लेब विद्यालय सम्बन्धित प्रगति साझा करे।
4. जिला स्तरीय अधिकारियों प्रतिमाह सभी लेब विद्यालयों की कम से कम एक मोनिटरिंग विजिट एवं सम्बलन प्रदान किया जावे एवं प्राप्त अनुभव डाईट प्रभारी के साथ साझा किया जावे।
5. समय–समय पर डाईट से लेब विद्यालय की प्रगति के सन्दर्भ में चर्चा करे।

सर्व शिक्षा अभियान के दायित्वः–

1. राज्यस्तर पर होने वाले नवाचार को लेब विद्यालयों को प्राथमिकता से करवाए जैसे स्मार्ट कक्षाए, एबीएल किट उपलब्ध करवाए।
2. डाईस डेटा के आधार पर विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का विश्लेषण करें एवं जरूरतानुसार भौतिक संसाधन यथा बिजली, पानी, शौचालय, कक्षा–कक्ष उपलब्ध करवाए।
3. पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, खेल सामग्री, कम्प्यूटर, फर्नीचर, इन्स्युलेटर उपलब्ध करवाए।
4. ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के द्वारा विद्यालय की मोनिटरिंग करते हुए आवश्यक सम्बलन प्रदान करें तथा प्रगति से डाईट को अवगत करवाए।

पीईईओ के दायित्वः–

1. अपने परिक्षेत्र में स्थित लेब विद्यालय की प्रतिमाह एक सम्बलन विजिट करे।
2. लेब विद्यालय के समस्त स्टाफ के साथ बैठक कर आवश्यकतानुसार सुझाव दें।
3. ग्राम पंचायत में होने वाली साधारण सभा या मासिक बैठक में लेब विद्यालय की प्रगति को साझा करते हुए आवश्यकता सुझाव प्राप्त करे।
4. 'लेब विद्यालय के लिए आवश्यक भौतिक संसाधन ग्राम पंचायत के सहयोग से उपलब्ध करवाए।
5. लेब विद्यालय की प्रगति से डाईट को समय–समय पर अवगत करवाए।

संस्था प्रधान के दायित्वः–

1. कक्षा–कक्ष का नियमित पर्यवेक्षण करे, आवश्यक अकादमिक सम्बलन प्रदान करे।
2. विद्यालय में एस.आई.क्यू.ई. के अन्तर्गत सीसीई, सीसीपी एवं एबीएल प्रक्रिया के अनुरूप एक शिक्षक को कक्षा 1 से 5 तक एक ही विषय के शिक्षण का दायित्त्व प्रदान करे।
3. विद्यालय की भौतिक आवश्यकताओं की पहचान करें तथा सम्बन्धित अधिकारी एवं विभाग को अवगत करवाए।
4. विद्यालय के अध्यापकों और एसएमसी की मदद से विद्यालय की वर्तमान जरूरतों के अनुसार शैक्षिक, सहशैक्षिक, भौतिक लक्ष्य निर्धारित करे एवं तदनुसार विद्यालय विकास योजना तैयार करे।
5. विद्यालय की भौतिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु पंचायत में प्रस्ताव रखना एवं पंचायत से आवश्यक सहयोग प्राप्त करे।
6. विद्यालय स्टाफ की मासिक बैठक करे, उसमें शैक्षिक एवं सहशैक्षिक मुद्दों पर चर्चा करे। अध्यापकों को शिक्षण के दौरान आ रही अकादमिक चुनौतियों के बारे में डाईट को अवगत करवाए।
7. विद्यालय की भौतिक जरूरतों के बारे में पंचायती राज सदस्यों के साथ व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर अवगत करवाए।

www.rajteachers.com

8. लेब विद्यालय में जरूरतों के लिए स्थानीय भामाशाहों से सम्पर्क कर उन्हे विद्यालय मे सहयोग के लिए प्रेरित करे।
9. जिन सूचकों की स्थिति विद्यालय में आंशिक या नहीं आती है, संस्था प्रधान उनका प्रतिमाह विद्यालय स्टाफ के साथ बैठक में समीक्षा करे एवं अगले माह की योजना में उस पर सुधार हेतु कार्ययोजना बनावे।
10. बनी कार्ययोजना के आधार पर स्टाफ के साथ काम करते हुए निर्धारित सूचक की पूर्णता की स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करे।

अध्यापक के दायित्वः–

1. विषयाध्यापक एस.आई.क्यू.ई. की भावना के अनुरूप अपने विषय का कक्षा–कक्ष में शिक्षण करवाए।
2. बाल केन्द्रित शिक्षण के द्वारा बालक को सीखने के पर्याप्त अवसर प्रदान करना।
3. आधार रेखा मूल्यांकन (बेस लाईन परीक्षण) द्वारा कक्षा को समूह एवं उप समूह में विभाजित करना।
4. प्रकरण के आधार पर अवधारणा ;ब्वदबमचजद्ध को उदाहरण/टीएलएम के अनुसार स्पष्ट करना।
5. अवधारणा आधारित प्रश्न कर छात्रों से सही उत्तर प्राप्त करना और उसे अभिप्रेरित करना।
6. कक्षा में जिन विद्यार्थियों द्वारा समझ में आये अवधारणा के अनुसार प्रश्नों के सही उत्तर दिये गये है, ऐसे 5–6 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को चिन्हित करना।
7. बेसलाईन परीक्षण के अनुसार उप समूह के विद्यार्थियों को चिन्हित करना।
8. कक्षा के कुल विद्यार्थियों को पांच या छः समूह में विभक्त कर प्रत्येक समूह में चिन्हित किये गये उत्कृष्ट, सामान्य एवं उपसमूह के एक या दो विद्यार्थियों का मिश्रित समूह निर्माण करना।
9. प्रत्येक समूह में उत्कृष्ट विद्यार्थी को समूह का लीडर बनाकर अवधारणा पर आधारित कक्षा कार्य, जिसमें वाक्य निर्माण, प्रश्नों को हल करना आदि समूहगत गतिविधि निर्धारित समयावधि में करने हेतु प्रेरित करना।
10. अध्यापक द्वारा प्रत्येक समूह को प्रेरित करना तथा कार्य को प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करना।
11. निर्धारित समयावधि लगभग 1 घंटा प्रत्येक समूह को दिये गये लक्ष्य के आधार पर कक्षा कार्य में व्यस्त कर अध्यापक उक्त समय का उपयोग अन्य कक्षाओं को अवधारणा समझाने या अन्य शैक्षणिक/गैरशैक्षणिक कार्य सम्पादित करने में करे।
12. निर्धारित समय पश्चात् प्रत्येक समूह द्वारा किये गये कार्य की लाल स्याही से जांच एवं सुधार कार्य करते हुए समूह को अंक प्रदान करते हुए, प्रथम और द्वितीय घोषित करना तथा बाल केन्द्रित शिक्षण के दौरान स्थायी समूह घोषित करते हुए प्रतिस्पर्धा बनाये रखना।
13. सभी समूह द्वारा किये गये कार्य को प्रत्येक विद्यार्थी को सुस्पष्ट एवं सुन्दर अक्षरों में लिखवाना तथा याद कराना।
14. बनाई गई योजना की क्रियान्विति में पीयर समूह की अवधारणा देते हुए एस.आई.क्यूई. के उद्देश्यों की पूर्ति करना।
15. रचनात्मक आकलन करते हुए चैकलिस्ट में विद्यार्थियों की प्रगति को नियमित रूप से दर्ज करना।
16. प्रत्येक टर्म की समयावधि समाप्त होने प्रत्येक विद्यार्थी का योगात्मक आकलन लिया जाना सुनिश्चित करे।
17. पोर्टफोलियों का नियमित संधारण :–विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यपत्रक, व्यक्तिगत कार्य एवं हल किए गए योगात्मक आकलन प्रश्न–पत्र में प्रत्येक प्रश्न को जाँच कर सकारात्मक टिप्पणी दर्ज करते हुए पोर्टफोलियों में संधारित करे।
18. विद्यार्थियों की प्रगति को नियमितरूप से अभिभावकों के साथ साझा करे।

अभिभावक के दायित्वः–

1. नियमित रूप से विद्यालय में जाएँ तथा विषयाध्यापकों से अपने बच्चे की प्रगति जानने का प्रयास करे।

www.rajteachers.com

2. विद्यालय में होने वाले उत्सवों, जयन्तियों एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होवें।
3. अध्यापक अभिभावक परिषद बैठक में भाग लेकर अपने बच्चे की प्रगति जाने तथा अपनी अपेक्षाओं को विद्यालय स्टाफ के साथ साझा करे।

www.rajteachers.com